

//कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा (म.प्र.)//
:: विविध आदेश ::

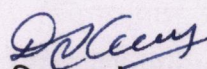
क्रमांक-592/कार्य विभाजन/56/2026 S.W. आगर-मालवा, दिनांक 27/12/2026

मैं, डी0 एस0 चौहान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा म0प्र0 इस न्यायिक जिला स्थापना आगर मालवा में मुख्यालय आगर मालवा पर माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रं0 1144/गोपनीय/26 जबलपुर दिनांक 13.10.2026 के द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर मालवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर मालवा (पीठासीन अधिकारी-श्रीमती अश्विनी सिंह) के न्यायालय की पदस्थापना किए जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय का श्रवण क्षेत्राधिकार घोषित करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी करता हूं-

अ.क्र.	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
6अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर मालवा के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर मालवा	तहसील आगर/बड़ौदा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. (अक्षरी रुपये पांच लाख रुपये से अधिक से लेकर पचास लाख रुपये तक) तक मुल्यांकन के तहसील आगर मालवा से उत्पन्न A एवं B श्रेणी के नवीन दर्ज होने वाले साम्प्रतिक वाद।

नोट- कार्य विभाजन आदेश क्रं0 28 दिनांक 22.01.2026 में अनु क्रं0 6 के कॉलम नं0 4 की कंडिका क्रं0-3 में से तहसील आगर को विलोपित कर उक्त नवीन प्रभार अनु क्रं0 6अ में जोड़ा जाकर शेष कार्य विभाजन आदेश यथावत् रखा जाता है।

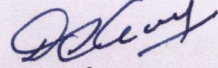
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर मालवा, (म0प्र0)

प्रशासनिक कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खंड, आगर मालवा/सुसनेर/नलखेड़ा के न्यायिक अधिकारियों के अवकाश काल में आवश्यक कार्य प्रभार निम्नानुसार प्रदाय किया जाता है—

अ.क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के प्रथम अति. न्यायाधीश आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर तृतीय प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नलखेड़ा चतुर्थ प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर मालवा के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय, आगर मालवा	प्रथम प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर तृतीय प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नलखेड़ा चतुर्थ प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के प्रथम अति. न्यायाधीश आगर द्वितीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर तृतीय प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर चतुर्थ प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नलखेड़ा
4	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर	प्रथम प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नलखेड़ा द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के प्रथम अति. न्यायाधीश आगर
5	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आगर के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के प्रथम अति. न्यायाधीश आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आगर के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश, आगर	प्रथम प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के प्रथम अति. न्यायाधीश आगर

7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के अति० न्यायाधीश, नलखेडा	प्रथम प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर के प्रथम अति. न्यायाधीश आगर
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सुसनेर	प्रथम प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर द्वितीय प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नलखेडा तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्या० कनिष्ठ खंड आगर के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश, आगर चतुर्थ प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर

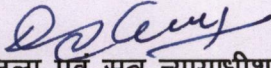

 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 आगर मालवा, (म०प्र०)

पृ० क्रमांक 592 A / कार्य विभाजन / 56 / 2026

आगर मालवा, दिनांक 27/12/2026

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रथम/द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा।
3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खंड, आगर मालवा/सुसनेर/नलखेडा।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, आगर मालवा/सुसनेर/नलखेडा।
5. आफिस मोहरीर, कार्यालय जिला न्यायालय आगर मालवा।
6. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, आगर मालवा।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर/आई०टी० असिस्टेंट जिला मुख्यालय आगर मालवा की ओर प्रेषित कर लेख है कि संबंधित की ओर आदेश की प्रति भेजी जावे।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 आगर-मालवा, (म०प्र०)

// कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा (म.प्र.) //

:: विविध आदेश ::

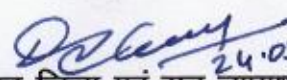
क्रमांक-209 / कार्य विभाजन / 56 / 2026

आगर-मालवा, दिनांक 24.03.2026

मैं, डी0 एस0 चौहान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा म0प्र0 इस न्यायिक जिला स्थापना आगर मालवा हेतु माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रं0 250/गोपनीय/26/दो-2-1/26 जबलपुर, दिनांक 16.03.2026 के द्वारा न्यायिक जिला स्थापना आगर मालवा हेतु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की नवीन स्थापना किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 22.01.2026 को जारी कार्यविभाजन आदेश क्रं0 28 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष-2026 के लिए प्रशासनिक कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारीगण (उच्च न्यायिक सेवा) के अवकाश काल में आवश्यक कार्य प्रभार निम्नानुसार करता हूँ-

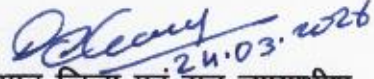
अ.क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा	प्रथम प्रभार : प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार : प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आगर के अति. सत्र न्यायाधीश आगर तृतीय प्रभार : द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर
2	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आगर के अति. सत्र न्यायाधीश आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार: जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर
2-ए	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आगर के अति. न्यायाधीश, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार: जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर
3	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आगर के अति. सत्र न्यायाधीश आगर द्वितीय प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार: जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर
4	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आगर के अति. सत्र न्यायाधीश आगर तृतीय प्रभार: द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर

शेष कार्य विभाजन आदेश क्रं0 28 आगर मालवा दिनांक 22.01.2026 यथावत रहेगा।


24.03.2026
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर मालवा, (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त/जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर/सुसनेर
3. प्रथम/द्वितीय/अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर/सुसनेर/नलखेड़ा
4. प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर/सुसनेर
5. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, आगर/सुसनेर/नलखेड़ा
6. आफिस मोहररि, कार्यालय जिला न्यायालय आगर
7. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, आगर
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।


24.03.2026
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आगर-मालवा, (म0प्र0)

//कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा (म.प्र.)//

:: आ दे श ::

क्रमांक- 28 / कार्य विभाजन / 2026

आगर-मालवा, दिनांक 22.01.2026

मैं, डी0 एस0 चौहान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा म0प्र0 सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-8 (7), 214, 422 (2), 449 (1), (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-10(2), 194, 381(2) और धारा-408) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिकमित (सुपरसिड) करते हुए, सिविल जिला आगर मालवा में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दाण्डिक कार्यों का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूं। यह आदेश दिनांक 23.01.2026 2026 से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित हैं या प्रस्तुत हुआ है, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अ.क्र.	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
1(अ)	सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा	सत्र खण्ड, आगर मालवा	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. आपराधिक अपील।</p> <p>3. आपराधिक पुनरीक्षण (न्यायालय पंचायत पुनरीक्षण को छोड़कर)।</p> <p>4. आपराधिक प्रकरणों को अंतरित हेतु धारा 448, 449, 452 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483 एवं 484 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>टीप (ए) तहसील सुसनेर क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा से उद्भूत होने वाले सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालय के लिए उपार्पित किये जावेंगे, जिन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुसनेर के न्यायालय में भेजा जावेगा। तहसील सुसनेर एवं नलखेडा में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुसनेर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगी। केवल सांख्यिकी प्रयोजन के लिए उनका पंजीयन सत्र न्यायालय, आगर में होगा।</p> <p>टीप (बी) आरक्षी केन्द्र सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा से संबंधित धारा 482, 483 एवं 484 के जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुसनेर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।</p> <p>6. आतंकवाद निवारण अधिनियम, (पोटा) 2002 (क्रमांक 15-2002) के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7. सती निवारण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 3-1983) के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>8. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (सी) के अंतर्गत उत्पन्न अपील।</p>

			<p>9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 219 एवं 222 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>10. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 13(क) (ख), 22(3), 27(क)(ग), 28, 28क, 28ख तथा 30(1)(ख) के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>11. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील।</p> <p>12. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>13. मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्यविभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 08.12.2017 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>14. अन्य आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, लेकिन जिसे मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निराकरण हेतु विशेषतया सशक्त किया गया हों।</p>
1(ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर मालवा	सिविल जिला आगर मालवा	<p>1. ट्रेड मार्क एक्ट एवं कॉपी राइट एक्ट के अपील के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद।</p> <p>2. लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं रेफरेंस।</p> <p>3. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत कब्जा धारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>4. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत आवेदन पत्र।</p> <p>5. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उत्पन्न चुनाव याचिकाएं (राजस्व जिला आगर मालवा)</p> <p>6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (5) एवं 172 (3) के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>7. सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के मामलों से उद्भूत होने वाली अपील।</p>
2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड, आगर मालवा	<p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये मामले।</p> <p>3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित प्रकरण (तहसील सुसनेर, सोयत व नलखेडा को छोड़कर)।</p> <p>4. "बालक न्यायालय" से बालक क अधिकारों का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2005(2006 का 4) के अधीन स्थापित न्यायालय तथा "बालक देखभाल संस्थान" से बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के अंतर्गत बालकों के प्रति अपराध या बालक अधिकारों का उल्लंघन संबंधी अपराध (पीडित अवयस्क बच्चों की फरियाद से संबंधित मामलों) से उत्पन्न आपराधिक अपीलें प्रकरण।</p> <p>5. "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (Atrocity Act.)" से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें पाक्सो एक्ट (POCSO Act.) का अपराध भी पंजीबद्ध है, ऐसे आपराधिक प्रकरण, प्रतिभूति आवेदन, रिमाण्ड, विविध आवेदन पत्र एवं ऐसे प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन।</p> <p>6. पूर्व पीठासीन अधिकारीगण द्वारा पाक्सो एक्ट के निर्णित सभी प्रकार के</p>

			<p>आपराधिक प्रकरणों में आवेदन पत्र, विविध आपराधिक प्रकरण, गिरफ्तारी वारण्ट, स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट, जमानत आवेदन पत्र, अर्थदण्ड आदि का क्रियान्वयन एवं अपीलीय न्यायालय से निर्णय/आदेश सहित प्रकरण प्राप्त करना एवं अपील न्यायालय के आदेश/निर्देश का क्रियान्वयन।</p> <p>7. तहसील आगर मालवा से संबंधित प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम, 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>8. तहसील आगर मालवा से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>9. तहसील आगर मालवा से संबंधित सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, के मामलों से उद्भूत होने वाली अपील।</p> <p>10. जिला मुख्यालय आगर में समस्त पूर्व एवं पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, आगर के निर्णय/जय पत्र एवं आदेश से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध साम्प्रतिक अपीलें।</p> <p>11. तहसील आगर से संबंधित 500/-रूपये से अधिक एवं 1000/-तक मुल्यांकन के लघुवाद।</p> <p>12. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना क्षेत्र आगर तथा बडौद क्षेत्र से संबंधित उत्पन्न होने वाले क्लेम प्रकरण।</p> <p>13. तहसील आगर क्षेत्र से संबंधित मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) एवं 172 (3) के अंतर्गत उत्पन्न पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>14. तहसील आगर एवं बडौद क्षेत्र से संबंधित मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत उत्पन्न चुनाव याचिकाएं (राजस्व जिला आगर-मालवा)।</p> <p>15. रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/6631 दिनांक 13.09.2023 एवं सर्वोच्च न्यायालय के रिट पीटीशन नंबर 754/2016 में दिए गए निर्देशानुसार लिंगिंग एवं भीड़ हिंसा से उत्पन्न मामलों का विचारण संबंधित मामलों की सुनवाई। (तहसील सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा को छोड़कर)</p> <p>16. भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996, भारतीय ट्रेड मार्क एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण। (तहसील कानड, बडौद, सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा को छोड़कर)</p> <p>17. रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, आगर के आदेश से उत्पन्न होने वाली विविध अपीलें।</p> <p>18. तहसील आगर के अंतर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किये गये आवेदन।</p> <p>19. भू-अर्जन अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रेफेंस प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (तहसील सुसनेर, कानड, बडौद, सोयत एवं नलखेडा को छोड़कर)</p> <p>20. तहसील आगर के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, अपील जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हैं, लेकिन जिसे किसी भी संहिता/अधिनियम के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को सुनवाई हेतु विशेषतया सशक्त किया गया हो।</p> <p>21. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं</p>
--	--	--	---

			<p>जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>22. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं इससे संबंधित अन्य सभी अपराधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। (आरक्षी केंद्र आगर, बडौद एवं कानड से संबंधित)।</p> <p>23. प्रोबोट केसेस, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण (तहसील सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा को छोड़कर)।</p> <p>24. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण।</p>
3	<p>द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा</p>	<p>सिविल जिला एवं सत्र खण्ड, आगर</p>	<p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश आगर मालवा द्वारा अंतरित किये गये मामले।</p> <p>3. तहसील आगर, बडौद व कानड के क्षेत्राधिकार के आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलियेशन एक्ट, 1996 के अधीन प्रस्तुत होने वाले मामले, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 42 में वर्णित अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर।</p> <p>4. तहसील आगर, बडौद व कानड से संबंधित 1,00,00,000 /— (अक्षरी रुपये एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद।</p> <p>5. तहसील कानड व बडौद क्षेत्र के प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम, 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>6. तहसील कानड व बडौद क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>7. तहसील कानड व बडौद क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, के मामलों से उद्भूत होने वाली अपील।</p> <p>8. आगर जिला मुख्यालय में समस्त पूर्व एवं पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के निर्णय/जय पत्र एवं आदेश से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध साम्प्रतिक अपीलें।</p> <p>9. तहसील कानड व बडौद क्षेत्र के 500 /— रुपये से अधिक एवं 1000 /— तक के मुल्यांकन के लघुवाद।</p> <p>10. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना क्षेत्र कानड क्षेत्राधिकार के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले क्लेम प्रकरण।</p> <p>11. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956, हिन्दू अवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम 1955, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, प्रोबेट केसेस, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण तहसील आगर, बडौद एवं कानड क्षेत्र से संबंधित उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>12. तहसील कानड एवं बडौद के मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) एवं 172 (3) के अंतर्गत उत्पन्न पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>13. तहसील कानड एवं बडौद के अंतर्गत आने वाले भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996, भारतीय ट्रेड मार्क एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>14. तहसील कानड एवं बडौद के अंतर्गत रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के आदेश से उत्पन्न होने वाली विविध अपीलें।</p>

			<p>15. तहसील कानड एवं बडौद के अंतर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किये गये आवेदन।</p> <p>16. तहसील कानड एवं बडौद के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रेफेंस प्रकरण एवं आवेदन पत्र।</p> <p>17. तहसील कानड व बडौद के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, अपील जिनका उल्लेख कार्यविभाजन पत्रक में नहीं हैं, लेकिन जिसे किसी भी संहिता/अधिनियम के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को सुनवाई हेतु विशेषतया सशक्त किया गया हो।</p> <p>18. तहसील आगर, कानड व बडौद के अंतर्गत कमर्शियल डिविजन एण्ड कमर्शियल अपीलेट डिविजन आफ हाई कोर्ट एक्ट, 2015 के अंतर्गत निर्मित कमर्शियल कोर्ट से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>19. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण।</p>
4	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुसनेर	तहसील सुसनेर, सोयत, नलखेडा क्षेत्र, आरक्षी केंद्र सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा	<p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये मामले।</p> <p>3. तहसील सुसनेर, सोयत व नलखेडा से संबंधित आर्बिट्रेशन एण्ड कंसीलियेशन एक्ट, 1996 के अधीन प्रस्तुत होने वाले मामले, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 42 में वर्णित अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर।</p> <p>4A. आरक्षी केन्द्र सुसनेर, सोयत, नलखेडा क्षेत्र से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483, 484 के अंतर्गत उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>B. तहसील सुसनेर क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा से उद्भूत होने वाले सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालय के लिए उपार्पित किये जावेंगे, तहसील सुसनेर एवं नलखेडा में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुसनेर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगी। केवल सांख्यिकी प्रयोजन के लिए पंजीयन सत्र न्यायालय, आगर-मालवा में होगा।</p> <p>5. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं इससे संबंधित अन्य सभी अपराधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>6. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7. आरक्षी केंद्र सुसनेर, सोयत एवं नलखेडा से संबंधित विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>8. ₹.1,00,00,000/- (अक्षरी रुपये एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद।</p> <p>9. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत कब्जा धारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील।</p> <p>10. सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, के मामलों से उद्भूत होने वाली अपील।</p>

			<p>11. प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम, 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>12. सुसनेर एवं नलखेडा तहसील न्यायालय में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के निर्णय/जय पत्र एवं आदेश से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध साम्प्रतिक अपीलें।</p> <p>13. रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/6631 दिनांक 13.09.2023 एवं सर्वोच्च न्यायालय के रिट पीटीशन नंबर 754/2016 में दिए गए निर्देशानुसार लिचिंग एवं भीड़ हिंसा से उत्पन्न मामलों का विचारण संबंधित मामलों की सुनवाई।</p> <p>14. 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- तक के मुल्यांकन के लघुवाद।</p> <p>15. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना क्षेत्र सुसनेर, सोयत, नलखेडा क्षेत्राधिकार के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले क्लेम प्रकरण।</p> <p>16. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956, हिन्दू अवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम 1955, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, प्रोबेट केसेस, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>17. भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996, भारतीय ट्रेड मार्क एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>18. रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, सुसनेर के आदेश से उत्पन्न होने वाली विविध अपीलें।</p> <p>19. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किये गये आवेदन।</p> <p>20. भू-अर्जन अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रेफ़ेंस प्रकरण एवं आवेदन पत्र।</p> <p>21. कमर्शियल डिविजन एण्ड कमर्शियल अपीलेट डिविजन आफ हाई कोर्ट एक्ट, 2015 के अंतर्गत निर्मित कमर्शियल कोर्ट से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>22. तहसील सुसनेर एवं नलखेडा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, अपील जिनका उल्लेख कार्यविभाजन पत्रक में नहीं हैं, लेकिन जिसे किसी भी संहिता/अधिनियम के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को सुनवाई हेतु विशेषतया सशक्त किया गया हो।</p> <p>23. महिला थाना आगर द्वारा पंजीबद्ध महिलाओं से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय ऐसे मामले जिनमें घटनास्थल, थाना सोयत, सुसनेर, नलखेडा क्षेत्र के अंतर्गत है।</p> <p>24. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण।</p>
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर मालवा	तहसील आगर मालवा।	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील प्रकरण, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य है।</p> <p>3. (अक्षरी रुपये पचास लाख रुपये से अधिक से एक करोड तक) तक मुल्यांकन के तहसील, आगर, कानड, बडौद से उत्पन्न A एवं B श्रेणी</p>

			<p>के साम्प्रतिक वाद ।</p> <p>4. रुपये 500/- तक के मुल्यांकन के लघुवाद ।</p> <p>5. कॉर्पोरेटिव सोसायटीज एक्ट की धारा 85 के अधीन प्रस्तुत प्रवर्तन प्रकरण ।</p> <p>6. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर की रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त कार्यवाहियां ।</p> <p>7. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>9. लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक पत्र)</p> <p>10. कॉर्पोरेटिव सोसायटीज एक्ट की धारा 85 के अधीन प्रस्तुत प्रवर्तन प्रकरण ।</p> <p>11. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण ।</p>
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर मालवा	तहसील बडौद, कानड ।	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण ।</p> <p>2. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य है ।</p> <p>3. (अक्षरी रुपये पांच लाख रुपये से अधिक से लेकर पचास लाख तक) तक मुल्यांकन के तहसील, आगर, कानड, बडौद से उत्पन्न A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद ।</p> <p>4. रुपये 500/- तक के मुल्यांकन के लघुवाद ।</p> <p>5. कॉर्पोरेटिव सोसायटीज एक्ट की धारा 85 के अधीन प्रस्तुत प्रवर्तन प्रकरण ।</p> <p>6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>7. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपीलें ।</p> <p>8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>9. लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक पत्र)</p> <p>10. कॉर्पोरेटिव सोसायटीज एक्ट की धारा 85 के अधीन प्रस्तुत प्रवर्तन प्रकरण ।</p> <p>11. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपीलें ।</p> <p>12. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण एवं पुनरीक्षण ।</p> <p>13. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की अनुसूची क्रमांक -1 एवं 2 में वर्णित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो जनपद पंचायत आगर क्षेत्र से उत्पन्न हुए हों तथा जिनका मूल्य 1/- रुपये से लेकर 25,000/- रुपये तक हो ।</p> <p>14. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण ।</p>

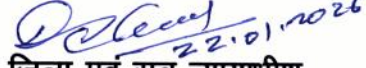
7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर	तहसील सोयत, सुसनेर।	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील सोयत व सुसनेर से संबंधित रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मुल्यांकन के A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपीलें। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण। 6. लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक पत्र) 7. कॉर्पोरेटिव सोसायटीज एक्ट की धारा 85 के अधीन प्रस्तुत प्रवर्तन प्रकरण।
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सुसनेर	तहसील सोयत, सुसनेर।	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. तहसील सोयत व सुसनेर से संबंधित रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक मुल्यांकन के A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद तथा तहसील 3. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार, विविध आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
9	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर मालवा के अतिरिक्त न्यायाधीश नलखेड़ा	तहसील नलखेड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकरण। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए जाने वाले आपराधिक अपील प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य हो। 3. रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक मुल्यांकन के A एवं B श्रेणी के दीवानी वाद। 4. रुपये 500/- तक के मूल्यांकन के लघुवाद। 5. कॉर्पोरेटिव सोसायटीज एक्ट की धारा-85 के अधीन प्रस्तुत प्रवर्तन प्रकरण। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण। 7. धारा-139 एवं 172 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत विविध अपीलें। 8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित प्रकरण। 9. लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक पत्र)। 10. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर		<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध

			आपराधिक प्रकरण।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर	तहसील बडौद	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक मुल्यांकन के A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद। 3. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण।
12	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	तहसील आगर एवं कानड़	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर-मालवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक मुल्यांकन के A एवं B श्रेणी के साम्प्रतिक वाद। 3. उपरोक्त सभी मामलों से एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन, विविध व्यवहार एवं विविध आपराधिक प्रकरण।

नोट :-

1. इस न्यायिक जिला स्थापना आगर-मालवा में कार्यरत न्यायालयों में पूर्व से संस्थित एवं लंबित प्रकरणों पर उक्त कार्य विभाजन प्रभावी नहीं होगा।
2. समस्त प्रकार के प्रकरण सीधे ही संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेंगे। न्यायालय अधीक्षक के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
3. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के निर्मित सभी प्रकार के प्रकरणों में पुनः विलोकन आवेदन पत्र विविध आपराधिक प्रकरण, गिरफ्तारी वारंट, स्थाई गिरफ्तारी वारंट, जमानत आवेदन पत्र, अर्थदण्ड आदि का क्रियान्वयन एवं अपीलीय न्यायालय से निर्णय/आदेश सहित प्रकरण प्राप्त करना एवं अपील न्यायालय द्वारा आदेश/निर्देश का क्रियान्वयन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आगर द्वारा किया जावेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का पृष्ठांकन क्रमांक सी/2159(कमर्शियल कोर्ट) दिनांक 06.05.2019 के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश स्तर एवं जिला न्यायाधीश स्तर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण इन्दौर में प्रस्तुत होंगे।
5. ग्राम न्यायालय, आगर के सुनवाई योग्य एवं क्षेत्राधिकार के सिविल/आपराधिक प्रकरण नियमित न्यायालय सुनवाई हेतु ग्रहण नहीं करेंगे।
6. किशोर न्यायबोर्ड, आगर के पीठासीन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में निर्धारित दिवस में बैठक करेंगे।
7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा के अवकाश पर होने पर ऐसे आवेदकों के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन जिनका पूर्व में निराकरण जिस न्यायालय द्वारा किया गया है, वे स्वमेव उसी न्यायालय में अंतरित होना मान्य किये जायेंगे, जिस न्यायालय के द्वारा पूर्व में

सुने एवं निराकृत किये गये हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा के अवकाश पर होने पर ऐसे जमानत आवेदन स्वमेव उस न्यायालय में अंतरित मान्य किये जायेंगे, जिस न्यायालय के द्वारा उसी अपराध क्रमांक में किसी अन्य सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व में निराकृत किया गया है।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 आगर मालवा, (म0प्र0)

प्रशासनिक कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों के अवकाश काल में आवश्यक कार्य प्रभार निम्नानुसार होगा—

अ.क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार : द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार : जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर
2	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर	प्रथम प्रभार: द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार: जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर
3	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार: प्रधान जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार: जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर
4	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सुसनेर	प्रथम प्रभार: प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय अपर जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर तृतीय प्रभार: प्रधान जिला एवं सत्र अति. न्यायाधीश, आगर
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर	प्रथम प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर पंचम प्रभार : अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नलखेडा
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर	प्रथम प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर पंचम प्रभार : अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नलखेडा
7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सुसनेर	प्रथम प्रभार: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नलखेडा द्वितीय प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आगर तृतीय प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर चतुर्थ प्रभार: द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर पंचम प्रभार: प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर

5. विशेष न्यायाधीश (पी0सी0/भ्रष्टाचार अधि0) आगर मालवा/सुसनेर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित अति आवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अति0 सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किए जाएंगे।
6. उपरोक्त विशेष न्यायाधीशगण के साथ-साथ वरिष्ठतम अति0 सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालयों से संबंधित अति आवश्यक प्रकृति के कार्य प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किए जाएंगे।
7. उक्त आदेश ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाशों में भी लागू रहेगा।
8. आवश्यक आदेश पारित होने के पश्चात प्रकरण तुरंत क्षेत्राधिकारी से संबंधित न्यायालयों को भेजे जाएंगे।
9. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, आगर की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर ग्राम न्यायालय के अतिआवश्यक कार्य का निपटारा करेंगे।
10. किशोर न्यायबोर्ड, आगर की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर किशोर न्यायबोर्ड के अतिआवश्यक कार्य का निपटारा करेंगे।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 आगर मालवा, (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक—65—54/कार्य विभाजन नस्ती/2024

आगर मालवा, दिनांक 22.01.2026

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रथम/द्वितीय/जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आगर/सुसनेर
3. प्रथम/द्वितीय/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आगर/सुसनेर/नलखेडा
4. प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आगर/सुसनेर
5. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, आगर/सुसनेर/नलखेडा
6. आफिस मोहर्रिर, कार्यालय जिला न्यायालय आगर
7. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, आगर
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 आगर-मालवा, (म0प्र0)